न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 51/2010 प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

बंशीधर पुत्र कल्याण जांगिड जाति खाती निवासी खातीपाडा ग्राम काबलेश्वर तहसील सैंथल जिला दौसा

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित– 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः 08.05.2024

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.06.2000 को ग्राम काबलेश्वर तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल के आ0ख0नं0 2 रकबा 1.25 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी बंशीधर पुत्र कल्याण जाति खाती निवासी काबलेश्वर को कर दिया गया। अप्रार्थी बंशीधर द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी बंशीधर पुत्र कल्याण जाति खाती निवासी काबलेश्वर को दिनांक 13.6.2000 को ग्राम काबलेश्वर के आराजी खसरा नंबर 2 रकबा 1.25है. भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 63 दिनांक 20.7.2001 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने से भूमि आवंटन का प्रयोजन निष्फल हो रहा है। प्रश्नगत भूमि सीलिंग सरप्लस भूमि है एवं मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त भी नहीं है। भूमि पूर्व में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित हुई थी जो पुनः आवंटन हुई है। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:19:34 IST
Reason: SelfAttested

....निरन्तर 2 पर

प्रा0 पत्र सं0 51/2010 प्रा.पत्र.14(4)

4. अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी बंशीधर पुत्र कल्याण जाति खाती निवासी काबलेश्वर को दिनांक 13.06.2000 को ग्राम काबलेश्वर स्थित भूमि खसरा नंबर 2 में से 1.25 है0 भूमि आवंटित की गई थी। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2059 एवं संवत 2060 से 2061 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भूमि को सीलिंग सरप्लस भूमि होना अंकित किया है। पूर्व में उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटन होना अंकित किया है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.06.2000 को अप्रार्थी बंशीधर को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.6.2000 के द्वारा ग्राम काबलेश्वर में अप्रार्थी बंशीधर के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 08 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:34 IST
Reason: SelfAttested